

(2)

EDUFUN FOUNDATION TRUST

*The trust/Company/ Institution should be irrevocable. However, for some reason trust/ company/Institution is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust/Company/Institution carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act /Company's Act/High Court.*

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 29.09.2017 पंजीकरण नंबर AAATE6271D/1850/17-18/T-2129/12AA  
Dated.29.09.2017 में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad

Under registration no. AAATE6271D/1850/17-18/T-2129/12AA Dated 29.09.2017.

Sd/-

(Rajkumar Lachhramka)

प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद  
Pr .Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

प्रतिलिपि :

- (1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
- (2) अपर आयकर आयुक्त (छूट) रेन्ज-1 अहमदाबाद
- (3) उप आयकर आयुक्त (छूट), रेन्ज-2, अहमदाबाद
- (4) गार्ड फाईल



(Parikaj Joshi)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),  
Income tax Officer (HQ)(E)

कृते प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद

For Pr. Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad



कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद  
OFFICE OF THE PR.COMMISSIONER OF INCOME TAX  
(EXEMPTIONS), AHMEDABAD

प्रथम मंजिल, रूम नं १११-११२, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९.  
Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad  
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.प्र.आ.आयु(छू.)/12ए/1850/2017-18  
पैन/PAN : AAATE6271D

HIS

ता: 29.09.2017

ट्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the :- EDUFUN FOUNDATION TRUST  
Trust./Company B/H MADHUSUDAN PLAZA,  
NAVGRAH SOCIETY,  
DHANERA ,  
BK- 385310.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF  
EDUFUN FOUNDATION TRUST

एडुफून फाउंडेशन ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी ने दिनांक 20.03.2017 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ कम्पनी निर्माण दिनांक 24.04.2014 को हुआ है और ट्रस्ट/कम्पनी का चैरिटी कमिश्नर/ रजिस्ट्रार ओफ कम्पनी के पास पंजीकरण दिनांक 24.04.2014 का हुआ है।

The above named Trust/Institution/Company has filed an application in Form No. 10A on Dt: 20.03.2017. Which has been created / constituted / registered on 24.04.2014 and registered with the Charity Commissioner / Registrar of Society/ Registrar of Company on 24.04.2014.

तदनुसार, ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत 20.03.2017 से पंजीकृत किया जाता है।  
Accordingly, the Trust/Institution/Company has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 20.03.2017 (i.e. F.Y.-2016-17 and A.Y. 2017-2018)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11, 12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

आवेदक ने विघटन खंड के लिए संकल्प की एक प्रति एवं शपथपत्र दाखिल किया है।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/ कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए। हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम /उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार वह अन्य न्यास/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/कम्पनी.

